न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.

बईजलास पीठासीन अधिकारी हॅसमुख कुमार आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र सं. 108/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
लुम्बाराम गोदी पुत्र श्री पुनाराम उर्फ पुनमाराम जाति मेघवाल आयु व्यस्क पेशा खेती निवासी मेघवालवास जावाल तहसील व जिला सिरोही		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही राज.

1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री नगेन्द्रकुमार मेडतियॉ

2– अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वास्ते राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात दुरूस्ती करने हेतु

आदेश — दिनांक27–8–2020

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का इस न्यायालय मे दि 6–11–2018 को पेश किया जिसका प्रार्थनापत्र मे संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया है कि प्रार्थी के जायन्दा पिता का नाम ''भीखाजी'' है, प्रार्थी दिनांक 17–3–2000 को जाति रितीरिवाज के अनुसार श्री पुनाराम उर्फ पुनमाराम के गोद गया है। गोद जाने से पूर्व प्रार्थी के पिता का नाम ''लुम्बाराम पुत्र भीखाजी '' दर्ज किया जाता रहा है तथा गोद जाने के बाद प्रार्थी के पिता का नाम बदलकर लुम्बाराम गोदी पुत्र श्री पुनाराम उर्फ पुनमाराम हो गया है तथा उसके बाद अपने नाम के पिछे गोदी पिता का नाम दर्ज करता आ रहा है। प्रार्थी के खातेदारी तथा कब्जा काश्त की कृषि आराजी मौजा डोडुआ पटवार हल्का डोडुआ मे आई हुई है, जिसके खसरा नंबर 58,62 तथा 63 कुल किता 3 रकबा 4.4700 हैक्टेयर है, जिसमे प्रार्थी का 1/2 आधा हिस्सा खातेदारी का है, इसके अलावा मौजा डोडुआ पटवार हल्का डोडुआ मे ही खसरा नंबर 64,66 तथा 67 कुल किता तीन रकबा 2.6500 की आराजी आई हुई है। जो थानाराम पुत्र हिदाजी के साथ संयुक्त है। प्रार्थी अपने खातेदारी की उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थीया के पहचान संबंधी समस्त दस्तावेज आधार कार्ड ,निर्वाचन पहचान कार्ड, राशनकार्ड आदि मे गोद जाने के बाद गोदी पिता ''श्री पुनाराम उर्फ पुनमाराम ''का नाम दर्ज है। प्रार्थी के खातेदारी की उक्त आराजी मे पिता का नाम श्री पुनाराम उर्फ पुनमाराम दर्ज होने तथा राजस्व अभिलेख मे पिता का नाम भीखाजी होने से प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। इस कारण प्रार्थी रेकर्ड को दुरूस्त करवाना चाहता है जिससे भविष्य मे किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति नही हो । अततः प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थी के खातेदारी की आराजी मे पिता का नाम ''भीखाजी'' के स्थान पर ''श्री पुनाराम उर्फ पुनमाराम ''दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें ।

प्राथी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न जमाबंदी संवत 2071–2074 मौजा डोडुआ नक्शा ,खसरा गिरदावरी ,बेचान लिखत 3–7–1992 ,आधार कार्ड ,पहचान पत्र ,राशनकार्ड की फोटो कोपीयों का अवलोकन कर उस पर मनन करने के पश्चात प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टियॉ सहमत होने से दिनांक 6–11–2018 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया । जिस पर अप्रार्थी तह.सिरोही का नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे दिनांक 16–11–2018 को प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये।दिनांक 16–9–2019 को न्यायालय मे सुनवाई के दौरान वकील प्रार्थी ने विचाराधीन प्रकरण मे फोर्म नंबर 3 के संलग्न ग्राम पंचायत जावाल का प्रमाण पत्र दिनांक 12–7–2018 की प्रति पेश करने से शा.मि. किया गया । इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 24–1–200 को अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने जरिये पत्र कमांक रीडर/2019/1025 दिनांक 20–12–2019 के द्वारा जवाब पेश किया जिसे शा.मि. किया गया ।

अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब मे कथन किया कि विचारण अनवान प्रकरण मे प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या 1 मे कथन कर निवेदन किया कि प्रार्थी के प्राकृतिक पिता का नाम ग्राम डोडुआ के राजस्व रेकर्ड मे अंकि[illegible] जाने एवं अन्य कथन प्रार्थी स्वंय सिद्ध करें । तथा ग्राम डोडुआ की वर्तमान जमाबंदी सं[illegible] 2074 के खाता संख्या 548 के अनुसार श्री लुम्बा पुत्र भीखाजी मेघवाल सा[illegible] 58,62 व 63 कुल किता 3 कुल रकबा 4.4700 हैक्टेयर मे 1/2 हिस्सा दर्ज [illegible] जमाबंदी [illegible] संख्या 552 के अनुसार खसरा नंबर 64,66 व [illegible] रकबा 2.6500 हैक्टेयर [illegible] श्री लुम्बाराम पुत्र भीखाजी कौम मेघवाल सा.जावाल का 1/2 हिस्सा [illegible] है। उक्त जवाब के [illegible] कथन मे बताया कि प्रार्थी ने श्री पुनाराम उर्फ पुनमाराम के गोद जाने के संबंध मे पंजिकृत गोदनामा,भूमि उनकी पैत्रक होने या स्वंय द्वारा खरीद की है का कोई उल्लेख विचाराधीन प्रार्थनापत्र मे नही करवाने से विचाराधीन यह प्रार्थनापत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट का निरस्त करवाने का तहसीलदार सिरोही ने निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:45:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)

आज दिनांक 4–8–2020 को विचाराधीन प्रकरण मे प्राथी व अप्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री) द्वारा विचाराधीन प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट पर सीधी अंतिम बहस करने का निवेदन करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने विचाराधीन उक्त प्रार्थनापत्र पर वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री) की अंतिम बहस गंभीरता से सुनकर उस पर मनन किया । विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली मय दस्तावेजात प्रतियों का भी गंभीरता से अवलोकन कर उस पर मनन किया । विचाराधीन सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन व दस्तावेजात का विश्लेषण करने के उपरान्त निष्कर्षत्यातमक स्थिति यह उभर कर सामने आई कि प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र मे यह कथन किया है कि प्रार्थी दिनांक 17–3–2000 को जाति रितिरिवाज अनुसार श्री पुनाराम उर्फ पुनमाराम के गोद जाना बताया है लेकिन उक्त कथन की सत्यता की पुष्टि के लिये दस्तावेजी साक्ष्य, कोई लिखत, पंजिकृत गोदनामा की प्रति प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के साथ पेश नही की है जिससे यह जाहिर नही होता है कि प्रार्थी वास्तव मे श्री पुनाराम उर्फ पुनमाराम के गोद गया है इसके अलावा प्रार्थी ने उक्त वर्णित कृषि भूमि पैत्रक होने या स्वंय द्वारा खरीद करने का कोई उल्लेख प्रार्थनापत्र मे नही किया है। उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी अपने उक्त प्रार्थनापत्र को सिद्व करने मे असफल होने के फलस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अ.धा. 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करवाने का स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार (खारीज) किया जाता है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया ।

। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(हॅसमुख कुमार)
लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 27–8–2020 को मेरे हस्ताक्षर,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:45:28 IST
Reason: SelfAttested